Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में वृत्ताधिकारी, वृत–लाखेरी के रीडर हैड कानि. का दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज लाखेरी, बूंदी में कार्यवाही करते हुये प्रेमशंकर राठौड़ (प्राईवेट व्यक्ति) को वृत्ताधिकारी, वृत–लाखेरी बूंदी के रीडर हैड कानिस्टेबल हरेन्द्र के लिये परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके बड़े भाई के विरूद्ध दर्ज एस.सी./एस.टी. ऐक्ट के मुकदमें जिनका अनुसंधान वृत्ताधिकारी, वृत–लाखेरी, बूंदी द्वारा किया जा रहा है, में मामला रफा–दफा कर एफ.आर. लगाने की एवज में वृत्ताधिकारी का रीडर हरेन्द्र द्वारा अपने दलाल प्रेमशंकर राठौड़ (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान एवं पु.नि. श्री अजीत बगड़ोलिया** तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल प्रेमशंकर राठौड़ पुत्र श्री गोबरीलाल तेली निवासी बैरवा बस्ती, लबान तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने से आरोपी रीडर हैड कानिस्टेबल हरेन्द्र नं. 443, पुलिस थाना लाखेरी हाल रीडर कार्यालय वृत्ताधिकारी, वृत–लाखेरी, जिला बूंदी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।